छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा प्रथम सत्र अंक-12

रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 2014

(माघ-21, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 एवं 03 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए। प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री खेलसाय सिंह अनुपस्थित थे।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्न संख्या 3 (क्रमांक 630) पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा भारत एल्यूमीनियम कंपनी (बालको) द्वारा वन संरक्षण नियम 1980 का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी चाही गई। इस पर डा.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि यह प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अत: इस विषय पर आज विधान सभा में चर्चा संभव नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री श्री अजय चंद्राकर द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 36 (19) की ओर माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करते हुए आसंदी से आग्रह किया कि न्यायालयीन मामलों में सदन में चर्चा नहीं कराई जा सकती।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि चूंकि प्रकरण न्यायालय में लंबित है। माननीय सदस्य को भी यह ज्ञात है। अत: इसमें चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

3. बहिर्गमन

श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत उद्योगों के विरूद्ध की गई कार्यवाही संबंधी प्रकरण में शासन की ओर से उत्तर न आने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

4. प्रश्नोत्तर (क्रमश:)

प्रश्न संख्या 04 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये । प्रश्न संख्या 05 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री टी.एस.सिंहदेव द्वारा उपस्थित रह कर भी प्रश्न नहीं किया गया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि प्रश्न संख्या 03 (क्रमांक 630) पर दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार कर चर्चा का अवसर दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- जैसे ही मेरे संज्ञान में यह बात आयी कि मामला सब ज्यूडियश है, मैंने अपनी व्यवस्था दी और यह मामला समाप्त हो गया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.29 बजे स्थगित की जाकर 11.42 बजे पुन: प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, (डॉ.) प्रीतम राम, चिन्तामणी महाराज, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, अमरजीत भगत, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, जयसिंह अग्रवाल, अमित अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, जनकराम वर्मा, सत्यनारायण शर्मा, भैयाराम सिन्हा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, भूपेश बघेल, अरूण वोरा, भोलाराम साहू, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री मनोज सिंह मंडावी, मोहन मरकाम, लखेश्वर बघेल, दीपक बैज एवं श्रीमती देवती कर्मा ।

6. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

ता.प्र.सं.06 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये ।

7. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

8. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

प्रश्न संख्या 07 सहित कुल (05) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 8 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

9. वक्तव्य

श्री रामसेवक पैकरा, गृहमंत्री ने दिनांक 9.2.2014 को भेज्जी के ग्राम बोधराजपुर के गच्चनपल्ली जंगल में सुरक्षा बलों के साथ घटित घटना के संबंध में वक्तव्य दिया ।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

10. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-30 रायपुर-जगदलपुर में दुर्घटना होने से अनेक लोगों की मौत होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री मोतीलाल देवांगन, अरूण वोरा, लखेश्वर बघेल, सदस्य ने जिला बस्तर अंतर्गत ग्रामीण विकास की योजनाओं में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चन्द्राकर, पंचायत मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

11. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री दलेश्वर साहू
2. श्री दिलीप लहरिया
3. श्री रामदयाल उइके
4. श्री सियाराम कौशिक
5. श्री भोलाराम साहू

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गयीं :-

(1) श्रीमती रूप कुमारी चौधरी

(2) डॉ.खिलावन साहू

(3) श्री तोखन साहू

(4) श्री लखन देवांगन

(5) श्री भोला राम साहू

13. समितियों का निर्वाचन

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए वित्तीय वर्ष 2014-2015 की अवधि के लिए नौ-नौ सदस्य निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए वित्तीय वर्ष 2014-2015 की अवधि के लिए 09 सदस्य जिनमें से क्रमशः तीन-तीन सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी, 2014 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा सोमवार दिनांक 17 फरवरी, 2014 को अपराह्न 1.30 बजे से प्रमुख सचिव, विधान सभा के कक्ष में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 19 फरवरी, 2014 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान शुक्रवार, दिनांक 21 फरवरी, 2014 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित **सूचना कार्यालय** से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

14. वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री देवजी भाई पटेल (जारी)

(1.30 से 3.01 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

श्री धनेन्द्र साहू,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री भईयालाल राजवाड़े, रामदयाल उइके, दयाल दास बघेल, अमरजीत भगत, महेश गागड़ा, केशव चंद्रा, मोतीलाल देवागंन,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री तोखन साहू,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

श्री बृहस्पत सिंह

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सायं 5.51 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनाँक 11 फरवरी, 2014 (माघ 22, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा